

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
पुलशावरीरु
उनवान सरकार बनाम ७६.५५.६७१ व.प.र.६.....

अपील नामान्तरण/ 131 रागोली

28.12.20

मुकदमा नं० 03/200 निर्णय दि० 28.12.20

पत्रावली पेश। अपील करी व प्रतिवादी पक्ष उपस्थित।
अपीलार्ट द्वारा लिखित कलम पेश की गयी। दि. 28.10.20
की order sheet अनुसार स्थायी निवेदावा वाद के
साथ निर्णय काबल उल्लेख किया। आज दि. को स्थायी
निवेदावा वाद का भी निर्णय किया गया है।

अपील के वशों अनुसार ग्राम रागोली द्वारा मा.स.
131 धारसीलाल पुत्र धनमालाल महाजन स्वीकृत करते हुए
खलेदारी दर्ज की।

मा.स. 504 दि. 15.3.80 धारसीलाल का विरासतम
उसकी पत्नी के नाम दर्ज हुआ व दि. 28.1.20 को
मां.सं. 68 द्वारा विरासतम नामान्तरण अधीन सं. 374
के नाम स्वीकृत हुआ तथा दि. 10.2.20 को मां.सं.
68 द्वारा अधीन सं. 192 के नाम पंजीकृत वियमथा
नामान्तरण स्वीकृत हुआ।

उपरोक्त वशों से स्पष्ट है कि मां.सं. 131 के पश्चात
वीन नामान्तरण (504, 66 व 68) स्वीकृत किये गये हैं।
अपील नामान्तरण केवल वर्तमान के नामान्तरण की
ही करी जा सकती है।

अपीलार्टि घोषणात्मक कदमों के नियमानुसार
अनुबंध प्राप्त कर सकता है।

अतः अपील विद्वेष उपदानों के तहत पोषणिय
नहीं होने के कारण अस्वीकार की जाती है।

निर्णय आज दि. 28.12.20 को खुले न्यायालय
में सुनाया गया।

(Handwritten Signature)
(राजवती सिंह)

28.12.20
न्यायाधीश
सिद्धार्थ सिंह

